

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।


अधि०सं०- 4/कृ०शि०को०-36/2015- 2394 /कृ०, पटना, दिनांक 11/5/ 2015
कार्यालय आदेश

निदेशानुसार कृषि अनुसंधान कार्य से संबंधित प्रस्तावों पर विचार के लिए निम्न प्रकार से समिति का गठन किया जाता है,

कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार	- अध्यक्ष
सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	- सदस्य
कृषि निदेशक/उद्यान निदेशक/भूमि संरक्षण निदेशक/निदेशक, बामेति	- सदस्य
निदेशक अनुसंधान, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय/ बिहार कृषि विश्वविद्यालय	- सदस्य
निदेशक, आई.सी.ए.आर., पटना	- सदस्य
कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा नामित एक सेवानिवृत्त कृषि वैज्ञानिक, एक	
उद्यमी एवं एक गैर-सरकारी संस्था के प्रतिनिधि	- सदस्य
प्रभारी/वरीय प्रभारी, कृषि शिक्षा कोषांग, कृषि विभाग	- सदस्य

2. उक्त समिति कृषि शोध परियोजनाओं पर विचार करेगी तथा इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अथवा अन्य योजना में शामिल करने पर अनुशंसा कर सकेगी। समिति द्वारा परियोजनाओं के प्रगति का अनुश्रवण भी किया जा सकेगा। समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जा सकेगी।

3. प्रस्ताव में माननीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है।


(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या:- 2394 /कृ०, पटना, दिनांक 11/5/ 2015

प्रतिलिपि- कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/निदेशक अनुसंधान, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय/ निदेशक अनुसंधान, बिहार कृषि विश्वविद्यालय/निदेशक, आई.सी.ए.आर., पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/ मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।